



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-999/MCOL/9/2023-SSW

दिनांक: ०५.06.2026

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
कोल इंडिया लिमिटेड,
कोल भवन, परिसर सं.- 04 MAR
प्लॉट सं.- AF-III, एक्शन एरिया -1A,
न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156
ई-मेल: chairman.cil@coalindia.in

विषय: कोल इंडिया लिमिटेड में E-7 ग्रेड से E-8 ग्रेड में ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लागू न करने के संबंध में श्री मिलिंद पी. दुधे, सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड SC/ST एम्प्लॉईज असोशिएशन (CISTEA), नागपुर (महाराष्ट्र) का दिनांक 14.06.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.08.2023 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 17.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मिलिंद पी. दुधे,
सचिव,
कोल इंडिया लिमिटेड SC/ST एम्प्लॉईज असोशिएशन (CISTEA),
डब्ल्यू/1, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रिडा संकुल,
डी.आर.सी, बाय पास राडे, जिला- चंद्रपुर, (महाराष्ट्र)
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।